2. हर महानगरीय क्षेत्र में—एक महानगरीय योजना समिति

राज्य कार्यपालिका (State Executive)

संविधान में राज्य कार्यपालिका की स्थापना संघ की पद्धति पर की गई है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है, जो कि सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है।

राज्यपाल (Governor)

संविधान के अनुसार राज्यपाल की दोहरी भूमिका है, पहला राज्य का संवैधानिक मुख्य होने के नाते तथा राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में, इस प्रकार से राज्यपाल संघ एवं राज्य के बीच कड़ी का काम करता है।

भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों में राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत अथवा नियुक्त किया जाता है। वर्ष 1956 में किए गए संविधान संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

कार्यकाल (Tenure)

राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। राज्यपाल तब तक अपने पद पर बना रह सकता है, जब तक कि राष्ट्रपति की इच्छा हो। राष्ट्रपति राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है अथवा उसी राज्य में फिर से नियुक्त कर सकता है अथवा राष्ट्रपति उसे किसी भी समय पद से हटा सकता है।

राज्यपाल राष्ट्रपति के पास अपना त्यागपत्र भेजकर पदमुक्त हो सकता है।

योग्यता (Eligibility)

1. भारत का नागरिक हो।
2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
3. संसद अथवा राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न हो।
4. किसी भी लाभ के पद पर न हो।

साधारणत:, किसी भी व्यक्ति की राज्यपाल पद पर नियुक्ति के बारे में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार-विमर्श करता है।

Scanned with CamScanner

राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि में से दिए जाते हैं, जिस पर राज्य के विधानमंडल को मतदान का अधिकार नहीं होता है।

न्यायिक सुविधाएँ (Judicial Facilities)

राज्यपाल पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के संबंध में किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है।

राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य (Governor's Powers and Work)

राज्यपाल राज्य में लगभग वे सभी कार्य करता है, जो केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। राज्यपाल के अधिकारों और कर्तव्यों को चार भागों में बाँटा जा सकता है—कार्यपालिका, विधायिका, वित्त तथा न्यायपालिका संबंधी शक्तियाँ।

कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ

राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होने के नाते राज्य के कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल के पास मंत्रियों की नियुक्ति के अधिकार के साथ ही बर्खास्तगी का भी अधिकार होता है। वह मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता है।

राज्यपाल महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों जैसे वरिष्ठ पदाधिकारियों की भी नियुक्ति करता है। किंतु वह राज्य लोक सेवा के सदस्यों को नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति के समान ही राज्यपाल अपने राज्य की विधान सभा में आंग्ल-भारतीय (Anglo Indian) समुदाय के सदस्यों का नाम निर्दिष्ट करता है।

जिन राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है, अर्थात् जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, वहाँ विधान परिषद के बारे में राज्यपाल को सदस्यों का नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में 6 राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं जम्मू एवं कश्मीर में विधान परिषद मौजूद हैं।

विधायिका संबंधी शक्तियाँ

राज्यपाल को राज्य विधायिका का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा विधान सभा भंग करने का अधिकार है तथा उसे विधानमंडल का सत्र इस तरह बुलाना होता है कि दो सत्रों के बीच छह माह से अधिक का अंतर न हो।

राज्यपाल विधायिका के किसी भी एक अथवा दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है और दोनों सदनों को किसी लंबित विचाराधीन विधेयक अथवा अन्य विषय पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। चुनाव के बाद नवगठित विधान मंडल का पहला अधिवेशन और प्रत्येक नए वर्ष का पहला सत्र राज्यपाल द्वारा संबोधित किया जाता है।

राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्राप्त है। यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है। इसका प्रयोग मंत्रियों की सलाह और सहायता से ही किया जाना चाहिए। विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की तरह ही राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधान मण्डल के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक क्रियाशील रहते हैं। यदि विधानमंडल द्वारा 5 सप्ताह के पूर्व ही राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अस्वीकृत कर दिया जाए, तो वह अध्यादेश तत्काल ही समाप्त हो जाएगा।

वित्त संबंधी शक्तियाँ

राज्यपाल को सुनिश्चित करना पड़ता है कि राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल में पेश किया जाए तथा धन विधेयक और अनुदान की मांगों को सिफारिश करने की शक्ति भी राज्यपाल को है। विधानमंडल में उसकी पूर्वानुमति के बिना कोई वित्त विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है।

राज्य का आकस्मिक निधि कोष राज्यपाल के अधिकार में होता है और वह इससे अग्रिम निधि निकाल सकता है, विशेषकर अचानक आने वाले ऐसे खर्चों के लिए जो राज्य विधानमंडल के अधिकार में होते हैं।

न्यायपालिका संबंधी शक्तियाँ

राज्यपाल जिला न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, आदि के मामले में निर्णय लेता है।

राज्यपाल न्यायालय द्वारा दंड दिए गए किसी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है, उसकी सजा कम कर सकता है अथवा सजा को बदल सकता है। ऐसा विशेषत: ऐसे अपराधों के क्षेत्र में होता है, जहाँ राज्य के कार्यकारी अधिकारों का संबंध हो।

विवेकाधिकार संबंधी शक्तियाँ

विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल के विवेकाधिकार दो तरह के होते हैं: प्रथम, संविधान में प्रत्यक्ष तौर पर लिखे हुए संवैधानिक विवेकाधिकार। दूसरे, अप्रत्यक्ष विवेकाधिकार, जो कि तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं। इन्हें परिस्थितिकीय विवेकाधिकार कहा जा सकता है।

संवैधानिक विवेकाधिकार (Discretionary Powers)

भारत के राष्ट्रपति के विपरीत राज्यपाल के पास कुछ विशेष विवेकाधिकार होते हैं। ऐसे विशिष्ट मामलों में उसे मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर काम नहीं करना पड़ता बल्कि उसे अपने व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर काम करना पड़ता है।

1. राष्ट्रपति को राज्य की स्थिति के बारे में, विशेषकर संवैधानिक संकट के बारे में रिपोर्ट भेजते समय राज्यपाल अपने विवेक पर कार्य करता है।
2. राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखने का निर्णय भी राज्यपाल स्वयं ही लेता है।
3. केंद्र और राज्य सरकार के बीच किसी मामले पर विरोध पैदा होने पर भी राज्यपाल अपने विवेक से काम करता है।
4. कोई अध्यादेश जारी करते समय भी राज्यपाल को राष्ट्रपति की सलाह लेनी पड़ती है।
5. असम और नागालैण्ड के राज्यपाल, आदिवासी क्षेत्र का प्रशासन चलाने और नागा विद्रोहियों की हिंसक गतिविधियों पर नियंत्रण संबंधी मामलों पर अपने विवेक का प्रयोग करते हैं।

Scanned with CamScanner

परिस्थितिकीय विवेकाधिकार

राज्यपाल किसी विशेष परिस्थिति में अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल अपने मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता से काम करता है। लेकिन असामान्य परिस्थितियों में वह राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करता है और राष्ट्रपति को राज्य की परिस्थिति के संबंध में जानकारी देता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है:

1. मुख्यमंत्री की नियुक्ति
2. मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी
3. विधान सभा भंग करना

राज्य का आकस्मिक निधि कोष राज्यपाल के अधिकार में होता है।

Scanned with CamScanner